

८/11/२८ पत्रावली पेशा हुई। बकील उमपपदा उपलब्ध। वल्लभ
क्रा० फा० 07R11 CPC के परिपेक्ष्य में पत्रावली का
अवलोकन किया गया। पेशा व्यामोह दृष्टान्तों से
भागे दर्शन प्राप्त किया गया।

२. ऊर्ध्व प्रार्थना / प्रतिवादीगण द्वारा वल्लभ के
द्वारा क्र० फा० 07R11 CPC में अंकित तथ्यों की डिक्लेरे
हुए कथन किया कि धारा - 188 RT Act का
बाद पेशा करने के लिए वादीगण को tenant
होना आवश्यक है। वादीगण ना तो khatedar
tenants हैं और ना ही कब्जेदारी हैं। अतः
बादी का बाद Rajasthan tenancy Act के प्रावधानों
के विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। भागे
तर्क किया कि वादीगण / अप्राथीगण ने अपने
वाउफा (plaint) के पैरा न० २ व ३ में बेंचान
इकरार दिनांक 10/10/२०२३ की पालना में स्मार्स
निषेधात्मक चाही है लेकिन बेंचान इकरार (संविदा)
की पालना के लिए The specific Relief
Act 1969 में सहाम सिविल जामलय में बाउ
इकरार कर अनुबंध प्राप्त करना चाहिए। राजव
न्यायलय को संविदा (बेंचान इकरार) की पालना
कराने का हर्जाधिकार नहीं है। अतः बाउ विरु
से barred होने से खारिज योग्य है। भागे
तर्क किया कि वादीगण ने वाउफा (plaint) के
पैरा न० २ में वाउफला कूमि को Residential
purpose से convert करा कर आवासी स्व
करणों का अंकन किया है। आवासी (गैर
व्यापि कूमि पर) पर बाउ प्रवण का हर्जाधिकार



हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

सक्षम खितील का है। अतः अपील का फा
फा 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर अपील
(वादीगण) का वाद इली स्तर पर रखा
किया जावे।

3. आर्यो वादीगण (अपील) द्वारा उक्त
बदल का पुरखोर विरोध करते हुए कथन
किया कि वादीगण द्वारा वर्षे वैधान इकरा
दिनांक 10/10/2023 वादगत भूमि का कब्जा
प्राप्त कर लिया था और कब्जे की सुरक्षा
के लिये यह वाद पेश किया गया है।
वादगत आरोपी अर्थात् राज्य विधायक
अपील के खते दर्ज है, लेकिन वादीगण
के वैधान इकरा से टाईल एवं कब्जा
प्राप्त कर लिया है। अतः प्रकरण विद्यमान
वादीगण की ownership प्रकरण
में तत्कालीन कार्य कर साह्य लै कर
निर्धारित की जावेगी, ना इस स्तर पर।
आर्यो वादीगण द्वारा अभी तक किया कि
फा 07 R11 CPC के प्रावधान plaint
(वादपत्र) के rejection हेतु लागू होती है,
ना कि वाद (suit) के rejection पर। एक
बार कोई plaint, न्यायलय द्वारा दर्ज रजिस्टर
कर ली जाती है तो वह plaint ही
suit बन जाता है और suit का rejection
मही होकर dismissal होता है। अतः तर्क
किया कि आदेश 4 नियम 1 CPC से सूट है



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	<p> कि प्रत्येक वाद (suit) की शुरुआत वादपत्र (plaint) के presentation to court के साथ होता है। अतः वादगीण का वाद अर्थात् 07 RII CPC के अधीन खारिज नहीं किया जाकर मैजिस्ट्रेट पर तम्ना चार्जम बल एवम् लैटर निर्गत किया जावे। </p> <p> 4. बल अर्थात् के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थित/वादपत्र द्वारा पेश वादपत्र (plaint) के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सुनेम की वादग्रस्त भूमि खण्ड 1690 के खण्ड 1396 रकबा 0.0632 हेक्टेरों को रदन, बँचान, अन्तर्ग नहीं करने हेतु लॉर्ड निषेधाज्ञा का अनुतोष u/s 188 RT Act चाहा गया है। अतः धारा-188 RT Act में किसी tenant के wrongful ejectment होने पर permanent injunction जारी किए जाने का प्रावधान है। </p> <p> यहाँ वादगीण को - (i) Tenant होने के साथ (ii) wrongful ejectment होने या होवामी देने - शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी की पत्रावली सेवत 2024-27 के अनुसार खण्ड 1396 के प्रतिवादिगीण Recorded khatedar tenant है अर्थात् वादगीण Khatedar tenant नहीं है। वादगीण द्वारा वादपत्र में कही गयी wrongful ejectment होने या करे की धमकी (threatened) देने का अर्थ न अनुतोष नहीं चाहा है। वादगीण द्वारा पेश बँचान इकरार दिनांक 10/10/2023 की photocopy से खण्ड </p>



नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

5

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए


4250/4151 खण्ड 0.3794 haet एवं खण्ड नं०
4152/1397 खण्ड 0.5691 haet त्रिा 2 कुाम
खण्ड 0.9485 haet में हिले 1/2 का बैचान
इकरार होना प्रतीत होता है । उक्त बैचान
इकरार में वाडपत्र नं० खण्ड नं० 1396 खण्ड 0.0632
होने का कोई उल्लेख ही नहीं है अर्थात्
वाडपत्र नं० खण्ड नं० 1396 का कोई इकरार ही
नहीं हुआ तो फिर कल्पे सोपने का कोई
प्रश्न ही नहीं उठता है अतः वाडपत्र नं०
खण्ड नं० 1396 खण्ड 0.0632 haet से वैदरपल
(wrongful or rightful) करने का कोई प्रश्न
ही नहीं है। अतः वाडपत्र नं० का वाडपत्र द्वारा
-188 RT Act के अधीन वाडपत्र नं० का ही
पोषणीय नहीं है।

5. वाडपत्र नं० ने वाडपत्र (plaint) एवं सलपन
बैचान इकरार में खण्ड नं० 4250/4151 एवं 4152
1397
हिले 1/2 के sale agreement का अंकन किया
है । एवं वाडपत्र नं० ने वाडपत्र (plaint) के पैदा
नं० 2 इस भूमि का Residential purpose से
Abadi में Convert होना स्वीकार किया है । एवं
प्रमाणित नं० का उक्त डीपी खसरे abadi
Land (मोकुड जाकासी) के हैं जो द्वारा-
5(2) एवं द्वारा 5(24) RT Act के अनुसार (द्वि)
भूमि (agriculture Land) नहीं होने से वाडपत्र
न्यायलय द्वारा प्रबण योग्य नहीं है । उक्त का
संज्ञाधिकार लक्ष्म सिविल न्यायलय होने है
वाडपत्र नं० का वाड विधि द्वारा (RT Act) वाडपत्र नं०



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म में
	<p>6. नर्सिंग ने वाइपत्र (plaint) में वीचान ईकर (संविदा) दिनांक 10/10/2023 की पालना का पैरा नं० 2, 3 व 4 में अंकन किया है और संविदा की पालना करने का इंतजाम The Specific Relief Act 1963 में लक्ष्य किया गया है, राफल न्यायलय की नई अतः वाइपत्र के पैरा नं० 2 से 4 की इस न्यायलय के इंतजाम से बाहर होने से वाइ पोषीपि नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।</p> <p>7. उपरोक्त विवेक व निरलेखन के आधा पर प्राथमिकता का प्रपत्र OTR II CPC स्वीकार किया जाता है और नर्सिंग का वाइ विधि द्वारा वाजित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बैलप सुमाए होकर लक्ष्य से कम होकर वाइ तारीख तकमील दारखिल दफतर है।</p>	<p>न्यायाद 1- आशि मोहल्ला 2- गोवि नान्दिया नगर झ</p> <p>1- देव बोर्ड कं 2- इ रोड़ म 3- र राज.</p> <p>महोद</p> <p>1- खात प्रति</p> <p>2- प्रति संदि कि वर्त</p>




 उपखण्ड अधिकारी
 पिडाया, जिला झालावाड़ (राज.)